"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 93] रायपुर, सोमवार, दिनांक 12 मार्च 2018 — फाल्गुन 21, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 मार्च 2018

अधिसूचना
सं. 12/2018-राज्य कर

क्रमांक एफ -10-9/2018/वाक/पांच(22).– राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2018 है ।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

2. छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 में,--

(i) नियम 117 में, उपनियम (4) के खंड (ख) में, उपखंड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(iii) इस स्कीम का लाभ उठाने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति और उप नियम(2) के खंड (ख) के उपबंधों के अनुसरण में उसके द्वारा रखे गए माल के ब्योरै 31 मार्च, 2018 तक या ऐसी अवधि के भीतर जैसा परिषद् की सिफारिशों पर आयुक्त द्वारा विस्तारित की जाए, प्ररूप जीएसटी ट्रान 2 में छह कर अवधियों के प्रत्येक के लिए जिसके दौरान स्कीम कर अवधि के दौरान प्रभावित ऐसे माल के प्रदाय के ब्योरै उसमें उपदर्शित करते हैं, कथन प्रस्तुत करेगा;";

(ii) नियम 138 के स्थान पर निम्नलिखित नियम को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"138. माल का संचलन और ई-वे बिल के सृजन से पूर्व प्रस्तुत की जाने वाली सूचना—(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो माल के पारेषण, जिसका मूल्य पचास हजार रुपए से अधिक है, का—

(i) किसी पूर्ति के संबंध में संचलन कारित करता है ; या

(ii) पूर्ति से भिन्न किसी कारण से संचलन कारित करता है ; या

(iii) किसी गैर-रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से आवक पूर्ति के कारण संचलन कारित करता है,

ऐसे संचलन के प्रारंभ होने से पूर्व, उक्त माल के संबंध में सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक रूप से प्ररूप जीएसटी ईब्ल्युबी–01 के भाग क में यथाविनिर्दिष्ट सामान्य पोर्टल पर अपेक्षित की जाने वाली ऐसी अन्य सूचना प्रस्तुत करेगा और उक्त पोर्टल पर एक विशिष्ट सं. सृजित की जाएगी ।

परंतु परिवाहक, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से प्राप्त प्राधिकार पर, ऐसी अन्य जानकारी, जैसा सामान्य पोर्टल पर अपेक्षित हो, के साथ साथ सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यू बी-01 के भाग क में जानकारी देगा और उक्त पोर्टल पर एक विशिष्ट सं. सृजित की जाएगी:

परंतु यह और कि जहां मालों का परिवहन किसी ई- वाणिज्य आपरेटर या कोरियर एजेंसी के माध्यम से किया जाता है या आपूर्ति किया जाता है वहां आपूर्तिकर्ता द्वारा प्राप्त प्राधिकार पर ऐसे ई-वाणिज्य आपेरेटर या कोरियर एजेंसी द्वारा प्ररूप जीएसटी ई-डब्ल्यू बी-01 के भाग क में जानकारी दी जाएगी और उक्त पोर्टल पर एक विशिष्ट सं. सृजित की जाएगी:

परंतु यह भी कि जहां माल एक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अवस्थित स्वामी से अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अवस्थित कार्यकर्मकार को भेजा जाता है, वहां ई-वे बिल, पारेषण के मूल्य पर ध्यान दिए बिना स्वामी या रजिस्ट्रीकृत हो तो, जो कर्मकार द्वारा सृजित की जाएगी ।

परंतु यह भी कि जहां हस्तशिल्प माल एक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र से दूसरे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में किसी ऐसे व्यक्ति जो धारा 24 के खंड () और () के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने की अपेक्षा से छूट प्राप्त है, द्वारा परिवहन किया जाता है तो ई-वे बिल, पारेषण के मूल्य पर ध्यान दिए बिना ऐसे व्यक्ति द्वारा सृजित जाएगा"

स्पष्टीकरण 1 – इस नियम के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति "हस्तशिल्प माल" से वह अर्थ होगा जो इसे छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 420 तारीख 22 सितम्बर, 2017 में प्रकाशित, समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना सं. 32/2017-राज्य कर, एफ-10-73/2017/वाक/पांच (123) तारीख 15 सितम्बर 2017, में दिया गया है ।

स्पष्टीकरण 2 - इस नियम के प्रयोजन के लिए माल का परेषण मूल्य वह मूल्य होगा जो धारा 15 के उपबंधों के अनुसरण में अवधारित किया गया है बीजक, उक्त पारेषण के संबंध में जारी किए गए यथास्थिति, आपूर्ति के बिल या परिदान चालान में घोषित किया गया है और इसके अंतर्गत केन्द्रीय कर या संघ राज्य-क्षेत्र कर अथवा दस्तावेजो में भारित किया गया सैस, यदि कोई हो, भी है और और इसमे छूट प्राप्त माल का मुल्य अपवर्जित है, जहां बीजक दोनों अपूर्तीयो, छूट प्राप्त तथा करदेय आपूर्ती हेतु जारी किया गया है।

(2) जहां सड़क द्वारा माल का परिवहन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति परेषित के रूप में या परेषिती के रूप में पूर्ति के प्राप्तिकर्ता के रूप में चाहे स्वयं के परिवहन में या एक भाटक या सार्वजनिक वाहन पर किया जाता है, तो उक्त व्यक्ति प्ररूप जीएसटी ईब्ल्युबी–01 के भाग ख में सूचना प्रस्तुत करने के पश्चात् सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक रूप में प्ररूप जीएसटी ईब्ल्युबी–01 में ई-वे बिल का सृजन कर सकेगा:

(2क) जहां मालों का परिवहन रेल द्वारा या वायुयान या जलयान द्वारा किया जाता है वहां ई-वे बिल रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा सृजित की जाएगी, पूर्तिकर्ता या प्रासिकर्ता या तो मालों के संचलन के प्रारंभ से पहले या बाद में सामान्य पोर्टल पर जीएसटी ईडब्ल्यू बी-01 के भाग ख में जानकारी देगा:

परंतु जहां मालों का परिवहन रेल द्वारा किया जाता है वहां रेल तब तक मालों की पूर्ति नहीं करेगा जब तक कि वह इन नियमों के अधीन अपेक्षित ई-वे बिल पूर्ति करते समय प्रस्तुत नहीं करता।

(3) जहां उपनियम (2) के अधीन ई-वे बिल सृजित नहीं किया जाता है और माल को सड़क द्वारा परिवहन के लिए परिवहनकर्ता को सौंप दिया जाता है तो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति परिवहनकर्ता के संबंध में सामान्य पोर्टल पर सूचना प्रस्तुत करेगा और ई-वे बिल को उक्त पोर्टल पर परिवहनकर्ता द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्ररूप जीएसटी ईब्ल्युबी–01 के भाग क में प्रस्तुत सूचना के आधार पर सृजित किया जाएगा :

परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या परिवहनकर्ता अपने विकल्प पर ई-बिल का तब भी सृजनऔर वहन कर सकेगा जब पारेषण का मूल्य पचास हजार रुपए से कम है :

परंतु यह और कि जब संचलन किसी गैर-रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा या तो अपने स्वयं के या किसी भाटक पर वाहन या किसी परिवहनकर्ता के माध्यम से कारित किया जाता है तो वह या परिवहनकर्ता अपने स्वयं के विकल्प पर इस नियम में विनिर्दिष्ट रीति में सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी ईब्ल्युबी–01 में ई-बिल का सृजन कर सकेगा :

परंतु यह भी कि जहां माल का परिवहन राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में पारेषक के कारबार के स्थान से, परिवहनकर्ता के कारबार के स्थान तक आगे परिवहन के लिए, पचास किलोमीटर से कम दूरी के लिए किया जाता है तो पूर्तिकार या प्रासिकर्ता या यथास्थिति परिवहनकर्ता प्ररूप जीएसटी ईब्ल्युबी–01 के भाग ख में वाहन के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं करेंगे ।

स्पष्टीकरण 1.- इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए जब माल की पूर्ति किसी गैर-रजिस्ट्रीकृत पूर्तिकार द्वारा किसी प्रासिकर्ता को की जाती है जो रजिस्ट्रीकृत है तो संचलन को ऐसे प्रासिकर्ता द्वारा कारित किया गया कहा जाएगा यदि माल का संचलन प्रारंभ होने के समय प्रासिकर्ता ज्ञात है ।

स्पष्टीकरण 2.- ई वे बिल, सड़क द्वारा माल के परिवहन के लिए विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि प्ररुप जीएसटी ईब्ल्युबी-01 बिल भाग-ख में सूचना नहीं दी जाती है, सिवाय उस दशा के जब परिवहन उपनियम (3) के तीसरे परंतुक और उपनियम (5) के परंतुक के अंतर्गत आता है ।

(4) सामान्य पोर्टल पर ई-वे बिल के सृजन पर सामान्य पोर्टल पर पूर्तिकार, प्रासिकर्ता, परिवहनकर्ता को एक विशिष्ट ई-वे बिल संख्या (ईबीएन) उपलब्ध कराया जाएगा ।

(5) जब माल एक वाहन से दूसरे वाहन पर अंतरित किया जाता है तो पारेषणकर्ता या प्राप्तिकर्ता जिसनें प्ररुप जीएसटी ईडब्लूबी-01 के भाग क में सूचना प्रदान की है या परिवहनकर्ता, ऐसे अंतरण और माल के परिवहन से पूर्व सामान्य पोर्टल पर प्ररुप जीएसटी ईब्ल्युबी-01 के भाग ख में वाहन के ब्यौरे ई-वे बिल में अद्यतन करेगा :

परंतु जहां मालों का परिवहन राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में परिवहनकर्ता के कारबार के स्थान से अंतिमतः पारेषिती के कारबार के स्थान से पचास किलोमीटर से कम दूरी के लिए किया जाता है, तो वाहन के ब्यौरों को ई-वे बिल में अद्यतन नहीं किया जा सकेगा ।

(5क) पारेषणकर्ता या प्रासिकर्ता जिसने प्ररुप जीएसटी ईब्ल्युबी-01 के भाग क में वाहन के ब्यौरे की सूचना दी है या परिवहनकर्ता पारेषण के आगे परिवहन के लिए प्ररूप जीएसटी ईब्ल्युबी-

01 के भाग ख में सूचना अद्यतन करने के लिए अन्य रजिस्ट्रीकृत या नामांकित परिवहनकर्ता को ईब्ल्युबी-01 बिल सं. समनुदेशित कर सकेगा ।

परन्तु परिवहनकर्ता द्वारा प्ररुप जीएसटी ईब्ल्युबी-01 के भाग ख में अद्ययन करने के पश्चात्, यथास्थिति, पारेषणकर्ता या प्राप्तिकर्ता, जिसने प्ररूप जीएसटी ईब्ल्युबी-01 के भाग क में सूचना दी है, को किसी अन्य व्यक्ति को ई-वे बिल संख्या समनुदेशित करने हेतु अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(6) उपनियम (1) के उपबंधों के अनुसरण में ई-वे बिल के सृजन के पश्चात्, जहां बहुल पारेषणों को एक वाहन में परिवहन करना आशयित है तो परिवहनकर्ता ऐसे प्रत्येक पारेषण के संबंध में सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक रूप से सृजित ई-वे बिलों की क्रम संख्या को उपदर्शित कर सकेगा और माल के संचलन से पूर्व उक्त सामान्य पोर्टल पर उसके द्वारा प्ररूप जीएसटी ईब्ल्युबी–02 में एक समेकित ई-वे बिल का सृजन किया जा सकेगा ।

(7) जहां परेषक या परेषिती ने ई-वे बिल का सृजन प्ररूप जीएसटी ईब्ल्युबी–01 मे नहीं किया है और वाहन में ले जाए जाने वाले माल के परेषण का कुल योग मूल्य पचास हजार रुपए से अधिक है तो परिवाहक, यथास्थिति, पूर्ति के बीजक या प्रदाय का बिल या परिदान चालान के आधार पर ई-वे बिल का सृजन प्ररूप जीएसटी ईब्ल्युबी–01 मे अंतरराज्य पूर्ती की बाबत, माल का पारेषण रेल, वायुयान और जलयान के सिवाय, सृजन करेगा और माल के संचलन से पूर्व सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी ईब्ल्युबी–02 में समेकित ई-वे बिल का भी सृजन कर सकेगा ।

परंतु जहां माल जिनका परिवहन किया जाना है उसकी ई-वाणिज्य परिचालक के माध्यम से आपूर्ति की जाती है वहां ऐसे ई-वाणिज्य परिचालक या कोरियर एजेंसी द्वारा प्ररूप जीएसटी ईडब्लूबी-01 के भाग क में सूचना दी जा सकेगी ।

(8) प्ररूप जीएसटी ईब्ल्युबी–01 के भाग क में प्रस्तुत सूचना को सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत पूर्तिकर्ता को उपलब्ध कराया जाएगा जो उसका उपयोग प्ररूप जीएसटीआर-01 में ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए कर सकेगा :

परंतु जहां सूचना गैर-रजिस्ट्रीकृत पूर्तिकार या गैर-रजिस्ट्रीकृत प्राप्तिकर्ता द्वारा प्ररूप जीएसटी ईब्ल्युबी–01 में प्रस्तुत की गयी है तो उसे इलैक्ट्रानिक रूप से सूचित किया जाएगा, यदि मोबाइल नंबर या ई-मेल उपलब्ध है ।

(9) जहां इस नियम के अधीन ई-वे बिल सृजित किया गया है किंतु माल का या तो परिवहन नहीं किया गया है या परिवहन प्रस्तुत ई-वे बिल के ब्यौरों के अनुसार नहीं किया गया है तो ई-वे बिल को सामान्य पोर्टल पर ई-वे बिल के सृजन के चौबीस घंटें के भीतर रद्द किया जा सकेगा :

परंतु किसी ई-वे बिल को रद्द नहीं किया जा सकेगा यदि उसका नियम 138ख के उपबंधों के अनुसार अंतरण में सत्यापन कर दिया गया है ।

परंतु यह और कि उपनियम (1) के अधीन उत्पन्न विशिष्ट संख्या प्ररुप जीएसटी ईडब्लूबी-01 के भाग ख के अद्यतन हेतु पंद्रह दिन की अवधि के लिए विधिमान्य होगी ।

(10) इस नियम के अधीन सृजित ई-वे बिल या समेकित ई-वे बिल सुसंगत तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित अवधि के लिए स्तंभ (2) में यथावर्णित माल का परिवहन की जाने वाली, देश के भीतर दूरी, के लिए विधिमान्य होगा :

सारणी

क्रम सं.	दूरी	वैधता की अवधि
(1)	(2)	(3)
1.	100 किलोमीटर तक	एक दिन सिवाय अधिक विमीय कार्गो के
2.	प्रत्येक 100 किलोमीटर या तत्पश्चात् उसके भाग के लिए	एक अतिरिक्त दिन सिवाय अधिक विमीय कार्गो के
3.	20 किलोमीटर तक	अधिक विमीय कार्गो की दशा में एक दिन
4.	प्रत्येक 20 किलोमीटर या तत्पश्चात् उसके भाग	अधिक विमीय कार्गो की दशा में एक अतिरिक्त दिन

परंतु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा, किसी ई-वे बिल की विधिमान्यता की अवधि का उसमें विनिर्दिष्ट माल के कतिपय प्रवर्गों, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाए, के लिए विस्तार कर सकेगा :

परंतु यह और कि आपवादिक प्रकृति जिसके अंतर्गत पोतांतरण भी है की परिस्थितियों के अधीन, जहां माल का परिवहन ई-वे बिल की विधिमान्य अवधि के भीतर नहीं किया जा सकता है, तो परिवाहक यदि अपेक्षित हो तो प्ररूप जीएसटी ईबल्युबी–01 के भाग ख में ब्यौरों को अद्यतन करने के पश्चात् विधिमान्य अवधि को बढ़ा सकेगा।

स्पष्टीकरण 1—इस नियम के प्रयोजनों के लिए "सुसंगत तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत होगी, जिसको ई-वे बिल का सृजन किया गया है और विधिमान्य की अवधि की गणना उस समय से की जाएगी जिसको ई-वे बिल का सृजन किया गया है और प्रत्येक दिन की गणना ई-वे बिल के सृजन की तारीख के ठीक पश्चातवर्ती दिन के मध्यरात्री को समाप्त होने वाली अवधि के रूप में की जाएगी ।

स्पष्टीकरण 2- इस नियम के प्रयोजन के लिए "ओवर डायमेंशन कार्गो" पद से ऐसा कोई कार्गो अभिप्रेत है जिसका एकल अविभाजीय यूनिट के रूप में प्रवहन किया जा रहा है और जिसकी डायमेंशन सीमाएं मोटर यान अधिनियम 1988(1988 के 59) के अधीन बनाए गए केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 93 में विहित डायमेंशन सीमाओं से अधिक हैं ।

(11) इस नियम के अधीन सृजित ई-वे बिल के ब्यौरों को सामान्य पोर्टल पर निम्नलिखित को उपलब्ध कराया जाएगा-

(क) पूर्तिकार को, यदि वह रजिस्ट्रीकृत है, जहां प्राप्तिकर्ता या परिवाहक द्वारा प्ररूप जीएसटी ईबल्युबी–01 के भाग क में जानकारी दी गई है; या

(ख) प्राप्तिकर्ता को, यदि वह रजिस्ट्रीकृत है, जहां पूर्तिकार या परिवाहक द्वारा प्ररूप जीएसटी ईबल्युबी–01 के भाग क में जानकारी दी गई है,

और पूर्तिकार या प्राप्तिकर्ता, यथास्थिति, वह अपनी ई-वे बिल के अधीन आने वाले पारेषण की स्वीकृति या अस्वीकृति की संसूचना देगा ।

(12) जहां उपनियम (11) में निर्दिष्ट जानकारी सामान्य पोर्टल पर ब्यौरों को उसे उपलब्ध कराने के बहत्तर घण्टे के भीतर या माल के परिदान के समय, इसमें से जो भी पूर्वतर हो अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति से संसूचित नहीं करता है तो यह माना जाएगा कि उसने उक्त ब्यौरों को स्वीकार कर लिया है ।

(13) केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के माल और सेवाकर नियमों के नियम 138 के अधीन सृजित ई-वे बिल इस राज्य में वैध होगा ।

(14) इस नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी ई-वे बिल को सृजित करने की अपेक्षा नहीं होगी —

(क) जहां परिवहन किए जा रहे माल को उपाबंध में विनिर्दिष्ट किया गया है ;

(ख) जहां माल का परिवहन गैर-मोटरीकृत वाहन द्वारा किया जा रहा है ;

(ग) जहां माल का परिवहन किसी पत्तन, विमानपत्तन, एयर कार्गो परिसर और भू-सीमा-शुल्क केंद्र से किसी ईन-लैंड कंटेनर डिपो या किसी कंटेनर फ्रेट स्टेशन को सीमा-शुल्क द्वारा अनापत्ति के लिए किया जा रहा है ;

(घ) ऐसे माल के संचलन के संबंध में और राज्य के ऐसे क्षेत्र के भीतर, जैसा राज्य कर आयुक्त, केन्द्रीय कर के प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त से परामर्श कर, अधिसूचित करे ;

(ङ) जहां डी-ऑयल्ड केक से भिन्न परिवहन किया गया माल जो छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 2/2017-राज्य कर दर क्रमांक एफ-10-43/2017/वाक/पांच (70) तारीख 28 जून 2017, छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 252 में तारीख 29 जून 2017 द्वारा प्रकाशित, समय-समय पर यथासंशोधित, से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट है ;

(च) जहां माल, मानव उपभोग के लिए एल्कोहल लिकर, पेट्रोलियम अपरिस्कृत, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट (जिसे सामान्य रूप से पेट्रोल के रूप में जाना जाता है), प्राकृतिक गैस और एविएशन टरबाइन ईंधन ;

(छ) जहां परिवहन किए जाने वाले माल की अपूर्ती को अधिनियम की अनुसूची 3 के अधीन किसी आपूर्ति के रूप में नहीं माना जाता है ।

(ज) जहां मालों का परिवहन,-

(i) किसी अंतरदेशीय आधान डिपो या किसी आधान माल भाड़ा स्टेशन से सीमा शुल्क बंध पत्र के अधीन किसी सीमा शुल्क पत्तन, विमानपत्तन, वायु कार्गो काम्पलैक्स और भू सीमा-शुल्क स्टेशन को या किसी एक सीमा शुल्क स्टेशन या सीमा शुल्क पत्तन से किसी अन्य सीमा शुल्क स्टेशन या सीमा शुल्क पत्तन को किया जा रहा है, या

(ii) सीमा शुल्क पर्यवेक्षण या सीमा शुल्क मुद्रा के अधीन ।

(झ) जहां ऐसे माल जिसका परिवहन किया जा रहा हो नेपाल या भूटान से आने वाली या को जाने वाले पारगमन कार्गो हैं ।

(ञ) जहां परिवहन किया जा रहा माल छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 7/2017-राज्य कर (दर) तारीख 28 जून 2017, और अधिसूचना सं. 26/2017-राज्य कर (दर) तारीख 23 सितम्बर, 2017 के अधीन कर से छूट प्राप्त है ।

(ट) जहां माल का पारेषण किसी रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन रक्षा संगठन द्वारा, अपूर्तीकर्ता या प्रासिकर्ता के रूप मे किया जाय।

(ठ) जहां मालों का परेषक, रेल द्वारा मालों के परिवहन के लिए केंद्र सरकार, कोई राज्य सरकार, या कोई स्थानीय प्राधिकारी हैं ।

(ड) जहां खाली कार्गो कंटेनर का परिवहन किया जा रहा है। और

(ढ) जहां मालों का परिवहन, किसी परेषक के कारबार के स्थान से किसी तोल सेतु तक उसका वजन करने के लिए या किसी तोल सेतु से वापस उक्त परेषक के कारबार के स्थान तक 20 किलोमीटर तक की दूरी के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए किया जा रहा है कि मालों का संचलन नियम 55 के अनुसार जारी परिदान चालान से सहयुक्त है ।

स्पष्टीकरण—ई-वे बिल के सृजन, रद्द, अद्यतन और सुपुर्दगी की सुविधा को, यथास्थिति, पूर्तिकार, प्राप्तकर्ता और परिवाहक को एसएमएस के माध्यम से भी उपलब्ध कराया जा सकेगा ।

उपाबंध

[नियम 138(14) देखें]

क्र.सं.	माल का विवरण
(1)	(2)
1.	परिवार और गैर-घरेलू छूट वाले प्रवर्ग (एनडीइसी) ग्राहकों के लिए द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस की आपूर्ति
2.	पीडीएस के अधीन बिक्रीत मिट्टी का तेल
3.	डाक विभाग द्वारा परिवहन किए गए डाक सामान
4.	असली या कल्चरी मोती और कीमती या कम मूल्य के रत्न ; कीमती धातु और कीमती धातु की परत वाले धातु
5.	आभूषण, स्वर्णकार और रजतकार सामग्री और अन्य वस्तुएं (अध्याय-71)
6.	करेंसी
7.	निजी और घरेलू प्रभाव के उपयोग
8.	प्रवाल, अकर्मित(0508) और कर्मित प्रवाल(9601).”;

(iii) नियम 138क के लिए निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
"138क. किसी वाहन के प्रभारी व्यक्ति द्वारा साथ रखे जाने वाले दस्तावेज और युक्तियां.-- (1) किसी वाहन का प्रभारी व्यक्ति से--

(क) यथास्थिति, बीजक या पूर्ति बिल या परिदान चालान अपने साथ रखेगा ;

(ख) भौतिक रूप में ई-वे बिल की प्रति या ई-वे बिल सं. एलेक्ट्रोनिक रूप मे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित की जाने वाली रीति में वाहन में संनिहित्त रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान रीति के माध्यम से पहचान युक्ति से में प्रतिचित्रण की गई ई-वे बिल सं. रखेगा :

परंतु इस उपनियम की खंड ख मे उध्तृत कोई बात रेल रेल, वायुयान और जलयान के द्वारा मालों की संचलन की दशा में लागू नहीं होगी ।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति प्ररूप जीएसटी आईएनबी-1 में उसके द्वारा जारी किए गए कर बीजक को उक्त पोर्टल पर अपलोड करके सामान्य पोर्टल से बीजक निर्देश संख्या अभिप्राप्त कर सकेगा और उसे कर बीजक के बदले में उचित अधिकारी द्वारा सत्यापन के लिए प्रस्तुत कर सकेगा तथा ऐसी संख्या अपलोड करने की तारीख से तीस दिन की अवधि के लिए विधिमान्य होगा ।

(3) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपनियम (2) के अधीन बीजक अपलोड करता है, वहां प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग 'क' में सूचना प्ररूप जीएसटी आईएनबी-1 में दी गई सूचना के आधार पर सामान्य पोर्टल द्वारा संकलित की जाएगी ।

(4) आयुक्त, अधिसूचना द्वारा परिवाहकों के वर्ग से विशिष्ट रेडियो आवृत्ति पहचान युक्ति की अपेक्षा कर सकेगा और प्रवहण पर युक्त उक्त जड़वा सकेगा तथा माल के संचलन से पूर्व परिवहन पर रेडियो आवृत्ति पहचान युक्ति ई-वे बिल का प्रतिचित्रण कर सकेगा ।

(5) उपनियम (1) के खंड (ख) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां परिस्थितियों में ऐसी अपेक्षा की जाती है, वहां आयुक्त, अधिसूचना द्वारा, प्रवहण भारसाधक से ई-वे बिल के बजाय, निम्नलिखित दस्तावेजों को वहन करने की अपेक्षा कर सकेगा –

(क) कर बीजक या प्रदाय का बिल या बिलऑफ एंट्री; या

(ख) जहां माल प्रदाय के माध्यम से भिन्न कारणों के लिए परिवहन किया जाता है, वहां परिदान चालान ।;

(iV) नियम138ख के लिए निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"138ख. दस्तावेजों और वाहनों का सत्यापन - (1) आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त कोई अधिकारी, समुचित अधिकारी को मालों के सभी अंतरराज्यीय और अंतराराज्यीय संचलन के लिए भौतिक या इलेक्ट्रोनिक रूप में ई-वे बिल का सत्यापन करने के लिए किसी वाहन को रोकने हेतु प्राधिकृत कर सकेगा ।

(2) आयुक्त, उन स्थानों पर, जहां, माल के संचलन का सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, रेडियो आवर्ती पहचान प्रवाचक संस्थापित कराएगा और यानो के संचलन का सत्यापन ऐसे युक्ति प्रवाचकों के माध्यम से वहां किया जाएगा, जहां ई-वे बिल उक्त युक्ति के साथ प्रतिचित्रित किया गया है ।

(3) प्रवहणों का वास्तविक सत्यापन आयुक्त द्वारा यथा प्राधिकृत उचित अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा सशक्त अधिकारी द्वारा किया जाएगा :

परंतु कर अपवंचन पर विनिर्दिष्ट सूचना के प्राप्त हो जाने पर, विनिर्दिष्ट प्रवहण का वास्तविक सत्यापन आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का आवश्यक अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् किसी अन्य अधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है ।;

(V) नियम 138ग के लिए निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"138ग. मालों का निरीक्षण और सत्यापन – (1) पारगमन में मालों के प्रत्येक निरीक्षण की एक संक्षिप्त रिपोर्ट समुचित अधिकारी द्वारा निरीक्षण के चौबीस घंटे के भीतर प्ररूप जीएसटी ई डब्ल्यू बी-03 के भाग क में और ऐसे निरीक्षण के तीन दिन के भीतर उसकी अंतिम रिपोर्ट प्ररूप जीएसटी के बी-03 के भाग ख में अभिलिखित की जाएगी ।

(2) जहां किसी वाहन के परिवहन किए जा रहे मालों का किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर या किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में किसी एक स्थान पर पारगमन के दौरान भौतिक सत्यापैन किया जाता है वहां उक्त वाहन का उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में तब तक आगे और भौतिक सत्यापन नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पश्चात् कर अपवंचन से संबंधित कोई विनिर्दिष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं करा दी जाती है।";

(Vi) नियम 138घ के लिए निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"138घ- यान को निरुद्ध किए जाने से संबंधित जानकारी अपलोड करने संबंधी प्रसुविधा- जहां किसी यान को रोका गया है और तीस मिनट से अधिक की अवधि के लिए निरुद्ध किया गया है वहां परिवाहक उक्त जानकारी को सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यू बी-04 पर अपलोड कर सकेगा ।";

(Vii) प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यू बी-01, प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यू बी-02, प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यू बी-03, प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यू बी-04 तथा प्ररूप जीएसटी आईएनबी-1 के लिए निम्नलिखित प्ररूपो को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्युबी -01
(नियम 138 देखें)
ई-वे बिल

ई-वे बिल सं. :

ई-वे बिल की तारीख :

सृजनकर्ता :

तारीख, जिससे विधिमान्य है :

तारीख, जिस तक विधिमान्य है :

भाग-क		
क. 1	प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन	
क. 2	प्रेषण का स्थान	
क. 3	प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	
क. 4	परिदान का स्थान	
क. 5	दस्तावेज संख्यांक	
क. 6	दस्तावेज की तारीख	
क. 7	माल का मूल्य	
क. 8	एचएसएन कोड	
क. 9	परिवहन के कारण	
भाग-ख		
ख. 1	सड़क के लिए यान संख्यांक	
ख. 2	परिवहन दस्तावेज संख्यांक/रक्षा यान संख्यांक/अस्थायी यान रजिस्ट्रीकरण संख्यांक/नेपाल या भूटान यान रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	

टिप्पण:

1. क. 8 में एचएसएन कोड, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में पांच करोड़ रुपये तक वार्षिक आवर्त रखने वाले करदाताओं के लिए न्यूनतम दो अंकीय स्तर और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में पांच करोड़ रुपये से ऊपर का वार्षिक आवर्त रखने वाले करदाताओं के लिए चार अंकीय स्तर पर उपदर्शित किया जाएगा ।

2. दस्तावेज संख्या कर बीजक, प्रदाय-पत्र, परिदान चालान या प्रवेश पत्र का हो सकेगा ।

3. परिवहन दस्तावेज संख्या, माल रसीद संख्या या रेल रसीद संख्या या वायु मार्ग बिल संख्या या पोत परिवहन पत्र संख्या को उपदर्शित करता है ।

4. परिदान का स्थान, परिदान के स्थान का पिन कोड उपदर्शित करेगा ।

5. प्रेषण का स्थान, प्रेषण के स्थान में पिन कोड दर्शित करेगा ।

6. जहां प्रदायकर्ता या प्राप्तिकर्ता रजिस्ट्रीकृत नहीं है, तब, यथास्थिति, स्तंभ क.1 या स्तंभ क.3 में "यूआरपी" शब्द भरे जाएंगे ।

7. परिवहन के लिए कारण निम्नलिखित में से एक चुना जाएगा :-

कोड	विवरण
1	प्रदाय
2	निर्यात या आयात
3	छुट-पुट कार्य
4	एसकेडी या सीकेडी
5	प्राप्तिकर्ता ज्ञात नहीं है
6	लाइन सेल्स
7	विक्रय की विवरणी
8	प्रदर्शनी या मेले
9	स्वयं के उपयोग के लिए
0	अन्य

प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्युबी -02
(नियम 138 देखें)
समेकित ई-वे बिल

समेकित ई-वे बिल संख्यांक :

समेकित ई-वे बिल की तारीख :

सृजनकर्ता :

यान संख्या :

ई-वे बिलों की संख्या		
ई-वे बिल सं.		

प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्युबी -03
(नियम 138ग देखें)
सत्यापन रिपोर्ट

भाग क	
अधिकारी का नाम	
निरीक्षण की तारीख	
निरीक्षण का समय	
यान संख्या	
ई-वे बिल संख्या	
कर बीजक या पूर्ति बिल या परिदान चालान या बिल ऑफ एंट्री की तारीख	
कर बीजक या पूर्ति बिल या परिदान चालान या बिल ऑफ एंट्री की संख्या	
यान के प्रभारी व्यक्ति का नाम	

माल का वर्णन	
घोषित माल की मात्रा	
घोषित माल का मूल्य	
फर्क का संक्षिप्त वर्णन	
क्या माल निरूद्ध किया गया था ?	
यदि नहीं, तो यान निर्मुक्त की तारीख और समय	
भाग ख	
माल की वास्तविक मात्रा	
माल का वास्तविक मूल्य	
संदेय कर	
समेकित कर	
केंद्रीय कर	
राज्य या संघ राज्यक्षेत्र कर	
उपकर	
संदेय शास्ति	
समेकित कर	
केंद्रीय कर	
राज्य या संघ राज्यक्षेत्र कर	
उपकर	
सूचना के ब्यौरे	
तारीख	
संख्या	
निष्कर्ष के सारांश	

प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्युबी-04
(नियम 138घ देखें)
निरूद्ध की रिपोर्ट

ई-वे बिल संख्या	
निरूद्ध की अनुमानित स्थिति	
निरूद्ध की अवधि	
प्रभारी अधिकारी का नाम	(यदि ज्ञात हो)
तारीख	
समय	

प्ररूप जीएसटी आईएनवी-1
(नियम 138क देखें)
बीजक संदर्भ संख्या का सृजन

आईआरएन :		तारीख:	
प्रदायकर्ता का नाम			
जीएसटीआईएन			
विधिक नाम			
व्यापार नाम, यदि कोई है			
पता			
बीजक की क्रम संख्या			
बीजक की तारीख			
	प्राप्तिकर्ता के ब्यौरे (जिसके नाम बिल बनाया गया)	परेषिति के ब्यौरे (जिसको लदान किया गया)	
जीएसटीआईएन या यूआईएन, यदि उपलब्ध है			
नाम			
पता			
राज्य (नाम और कोड)			

प्रदाय का प्रकार –			
	बी से बी प्रदाय		
	बी से सी प्रदाय		
	प्रतिलोम प्रभार आकर्षित करता है		
	टीसीएस आकर्षित करता है	प्रचालक का जीएसटीआईएन	
	टीडीएस आकर्षित करता है	टीडीएस प्राधिकारी का जीएसटीआईएन	
	निर्यात		
	विशेष आर्थिक जोन को किया गया प्रदाय		
	माना गया निर्यात		

क्र. सं.	माल का वर्णन	एच.एस.एन.	मात्रा	इकाई	कीमत (प्रति इकाई)	कुल मूल्य	कटौती, यदि कोई है	कराधेय मूल्य	केंद्रीय कर		राज्य या संघ राज्यक्षेत्र कर		समेकित कर		उपकर	
									दर	रकम	दर	रकम	दर	रकम	दर	रकम
	माल भाड़ा															
	बीमा															
	पैकिंग और अग्रेषित प्रभार आदि															
कुल																
कुल बीजक मूल्य (अंकों में)																
कुल बीजक मूल्य (शब्दों में)																

हस्ताक्षर
हस्ताक्षरकर्ता का नाम
पदनाम या प्रास्थिति";

(viii) इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से, प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01 में, घोषणा [धारा 54(3) का दूसरा परंतुक] के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"घोषणा [धारा 54(3) का दूसरा परंतुक]]

मैं यह घोषणा करता हूं कि निर्यात किया गया माल किया निर्यात शुल्क के अध्यधीन नहीं है । मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैंने इस माल या सेवा या दोनों पर कोई भी प्रतिदायगी का उपभोग नहीं किया है और मैंने इस प्रदाय पर भुगतान किए गए एकीकृत कर के ऐसे प्रतिदाय का दावा नहीं किया है, जिसके संबंध में प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है ।

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम या प्रास्थिति;

(ix) इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से, प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01क में, घोषणा [धारा 54(3) का दूसरा परंतुक] के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"मैं यह घोषणा करता हूं कि निर्यात किया गया माल किया निर्यात शुल्क के अध्यधीन नहीं है । मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैंने इस माल या सेवा या दोनों पर कोई भी प्रतिदायगी का उपभोग नहीं किया है और मैंने इस प्रदाय पर भुगतान किए गए एकीकृत कर के ऐसे प्रतिदाय का दावा नहीं किया है, जिसके संबंध में प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है ।

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम या प्रास्थिति" ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 मार्च 2018

क्रमांक एफ-10-9/2018/वाक/पांच (22). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-9/2018/वाक/पांच (22), दिनांक 7 मार्च 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 7th March 2018

NOTIFICATION
No. 12/2018 – State Tax

No. F-10-9/2018/CT/V (22). — In exercise of the powers conferred by section 164 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017),the State Government hereby makes the following rules further to amend the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

(1) These rules may be called the Chhattisgarh Goods and Services Tax (Second Amendment) Rules, 2018.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

2. In the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, -

(i) with effect from the date of issue of this notification, in rule 117, in sub-rule (4), in clause (b), for sub-clause (iii), the following shall be substituted, namely:-

"(iii) The registered person availing of this scheme and having furnished the details of stock held by him in accordance with the provisions of clause (b) of sub-rule (2), submits a statement in FORM GST TRAN 2 by 31st March 2018, or within such period as extended by the Commissioner, on the recommendations of the Council, for eachof the six tax periods during which the scheme is in operation indicating therein, the details of supplies of such goods effected during the tax period;";

(ii) for rule 138, the following rule shall be substituted, namely:-

"138. Information to be furnished prior to commencement of movement of goods and generation of e-way bill.-(1) Every registered person who causes movement of goods of consignment value exceeding fifty thousand rupees—

(i) in relation to a supply; or

(ii) for reasons other than supply; or

(iii) due to inward supply from an unregistered person,

shall, before commencement of such movement, furnish information relating to the said goods as specified in Part A of FORM GST EWB-01, electronically, on the common portal along with such other information as may be required on the common portal and a unique number will be generated on the said portal:

Provided that the transporter, on an authorization received from the registered person, may furnish information in Part A of FORM GST EWB-01, electronically, on the common portal along with such other information as may be required on the common portal and a unique number will be generated on the said portal:

Provided further that where the goods to be transported are supplied through an e-commerce operator or a courier agency, on an authorization received from the consignor, the information in Part A of FORM GST EWB-01 may be furnished by such e-commerce operator or courier agency and a unique number will be generated on the said portal:

Provided also that where goods are sent by a principal located in the State to a job worker located in any other State, the e-way bill shall be generated either by the principal or the job worker, if registered, irrespective of the value of the consignment:

Provided also that where handicraft goods are transported from the State to another State or Union territory by a person who has been exempted from the requirement of obtaining registration under clauses (i) and (ii) of section 24, the e-way bill shall be generated by the said person irrespective of the value of the consignment.

Explanation 1.–For the purposes of this rule, the expression "handicraft goods" has the meaning as assigned to it in the notification No. 32/2017- State Tax, F-10-73/2017/CT/V (123) dated the 15th September, 2017 of Commercial Tax Department, Government of Chhattisgarh, published in the

Gazette of Chhattisgarh (Extraordinary), vide number 420, dated the 22th September, 2017 as amended from time to time.

Explanation 2.- For the purposes of this rule, the consignment value of goods shall be the value, determined in accordance with the provisions of section 15, declared in an invoice, a bill of supply or a delivery challan, as the case may be, issued in respect of the said consignment and also includes the central tax, State or Union territory tax, integrated tax and cess charged, if any, in the document and shall exclude the value of exempt supply of goods where the invoice is issued in respect of both exempt and taxable supply of goods.

(2) Where the goods are transported by the registered person as a consignor or the recipient of supply as the consignee, whether in his own conveyance or a hired one or a public conveyance, by road, the said person shall generate the e-way bill in FORM GSTEWB-01 electronically on the common portal after furnishing information in Part B of FORM GST EWB-01.

(2A) Where the goods are transported by railways or by air or vessel, the e-way bill shall be generated by the registered person, being the supplier or the recipient, who shall, either before or after the commencement of movement, furnish, on the common portal, the information in Part B of FORM GST EWB-01:

Provided that where the goods are transported by railways, the railways shall not deliver the goods unless the e-way bill required under these rules is produced at the time of delivery.

(3) Where the e-way bill is not generated under sub-rule (2) and the goods are handed over to a transporter for transportation by road, the registered person shall furnish the information relating to the transporter on the common portal and the e-way bill shall be generated by the transporter on the said portal on the basis of the information furnished by the registered person in Part A of FORM GST EWB-01:

Provided that the registered person or, the transporter may, at his option, generate and carry the e-way bill even if the value of the consignment is less than fifty thousand rupees:

Provided further that where the movement is caused by an unregistered person either in his own conveyance or a hired one or through a transporter, he or the transporter may, at their option, generate the e-way bill in FORM GST EWB-01 on the common portal in the manner specified in this rule:

Provided also that where the goods are transported for a distance of upto fifty kilometers within the State or Union territory from the place of business of the consignor to the place of business of the transporter for further transportation, the supplier or the recipient, or as the case may be, the transporter may not furnish the details of conveyance in Part B of FORM GST EWB-01.

Explanation 1.–For the purposes of this sub-rule, where the goods are supplied by an unregistered supplier to a recipient who is registered, the movement shall be said to be caused by such recipient if the recipient is known at the time of commencement of the movement of goods.

Explanation 2.-The e-way bill shall not be valid for movement of goods by road unless the information in Part-B of FORM GST EWB-01 has been furnished except in the case of movements covered under the third proviso to sub-rule (3) and the proviso to sub-rule (5).

(4). Upon generation of the e-way bill on the common portal, a unique e-way bill number (EBN) shall be made available to the supplier, the recipient and the transporter on the common portal.

(5). Where the goods are transferred from one conveyance to another, the consignor or the recipient, who has provided information in Part- A of the FORM GST EWB-01, or the transporter shall, before such transfer and further movement of goods, update the details of conveyance in the e-way bill on the common portal in Part B of FORM GST EWB-01:

Provided that where the goods are transported for a distance of upto fifty kilometers within the State or Union territory from the place of business of the transporter finally to the place of business of the consignee, the details of the conveyance may not be updated in the e-way bill.

(5A) The consignor or the recipient, who has furnished the information in Part-A of FORMGST EWB-01, or the transporter, may assign the e-way bill number to another registered or enrolled transporter for updating the information in Part-B of FORM GST EWB-01 for further movement of the consignment:

Provided that after the details of the conveyance have been updated by the transporter in Part B of FORM GST EWB-01, the consignor or recipient, as the case may be, who has furnished the information in Part-A of FORM GST EWB-01 shall not be allowed to assign the e-way bill number to another transporter.

(6) After e-way bill has been generated in accordance with the provisions of sub-rule (1), where multiple consignments are intended to be transported in one conveyance, the transporter may indicate the serial number of e-way bills generated in respect of each such consignment electronically on the common portal and a consolidated e-way bill in FORMGST EWB-02 maybe generated by him on the said common portal prior to the movement of goods.

(7) Where the consignor or the consignee has not generated the e-way bill FORM GST EWB-01 and the aggregate of the consignment value of goods carried in the conveyance is more than fifty thousand rupees, the transporter, except in case of transportation of goods by railways, air and vessel, shall, in respect of inter-State supply, generate the e-way bill in FORM GSTEWB-01 on the basis of invoice or bill of supply or delivery challan, as the case maybe, and may also generate a consolidated e-way bill in FORM GST EWB-02 on the common portal prior to the movement of goods:

Provided that where the goods to be transported are supplied through an e-commerce operator or a courier agency, the information in Part A of FORM GST EWB-01 may be furnished by such e-commerce operator or courier agency.

(8) The information furnished in Part A of FORM GST EWB-01 shall be made available to the registered supplier on the common portal who may utilize the same for furnishing the details in FORM GSTR-1:

Provided that when the information has been furnished by an unregistered supplier or an unregistered recipient in FORM GST EWB-01, he shall be informed electronically, if the mobile number or the e-mail is available.

(9) Where an e-way bill has been generated under this rule, but goods are either not transported or are not transported as per the details furnished in the e-way bill, the e-way bill may be cancelled electronically on the common portal within twenty four hours of generation of the e-way bill:

Provided that an e-way bill cannot be cancelled if it has been verified in transit in accordance with the provisions of rule 138B:

Provided further that the unique number generated under sub-rule (1) shall be valid for a period of fifteen days for updation of Part B of FORM GST EWB-01.

(10) An e-way bill or a consolidated e-way bill generated under this rule shall be valid for the period as mentioned in column (3) of the Table below from the relevant date, for the distance, within the country, the goods have to be transported, as mentioned in column (2) of the said Table:-

Sl. No.	Distance	Validity period
(1)	(2)	(3)
1.	Upto 100 km.	One day in cases other than Over Dimensional Cargo
2.	For every 100 km. or part thereof thereafter	One additional day other than Over Dimensional Cargo
3.	Upto 20 km	One day in case of Over Dimensional Cargo
4.	For every 20 km. or part thereof thereafter	One additional day in case of Over Dimensional Cargo:

Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council, by notification, extend the validity period of an e-way bill for certain categories of goods as may be specified therein:

Provided further that where, under circumstances of an exceptional nature, including trans-shipment, the goods cannot be transported within the validity period of the e-way bill, the transporter may extend the validity period after updating the details in Part B of FORM GST EWB-01, if required.

Explanation 1.—For the purposes of this rule, the"relevant date"shall mean the date on whichthe e-way bill has been generated and the period of validity shall be counted from the time at which the e-way bill has been generated and each day shall be counted as the period expiring at midnight of the day immediately following the date of generation of e-way bill.

Explanation 2.— For the purposes of this rule, the expression "Over Dimensional Cargo" shall mean a cargo carried as a single indivisible unit and which exceeds the dimensional limits prescribed in rule 93 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989, made under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988).

(11) The details of the e-way bill generated under this rule shall be made available to the-

(a) supplier, if registered, where the information in Part A of FORM GST EWB-01 has been furnished by the recipient or the transporter; or

(b) recipient, if registered, where the information in Part A of FORM GST EWB-01 has been furnished by the supplier or the transporter,

on the common portal, and the supplier or the recipient, as the case may be, shall communicate his acceptance or rejection of the consignment covered by the e-way bill.

(12) Where the person to whom the information specified in sub-rule (11) has been made available does not communicate his acceptance or rejection within seventy two hours of the details being made available to him on the common portal, or the time of delivery of goods whichever is earlier, it shall be deemed that he has accepted the said details.

(13) The e-way bill generated under rule 138 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 or Goods and Service Tax Rules of any other State or Union territory shall be valid in the State.

(14) Notwithstanding anything contained in this rule, no e-way bill is required to be generated—

(a) where the goods being transported are specified in Annexure;

(b) where the goods are being transported by a non-motorised conveyance;

(c) where the goods are being transported from the customs port, airport, air cargo complex and land customs station to an inland container depot or a container freight station for clearance by Customs;

(d) in respect of movement of such goods and within such areas in the State and for values not exceeding such amount as the Commissioner of State Tax, in consultation with the Principal Chief Commissioner/Chief Commissioner of Central Tax, may, subject to conditions that may be specified, notify;

(e) where the goods, other than de-oiled cake, being transported, are specified in the Schedule appended to notification No. 2/2017- State Tax (Rate), F-10-43/2017/CT/V (70) dated the 28th June, 2017 of Commercial Tax Department, Government of Chhattisgarh, published in the Gazette of Chhattisgarh (Extraordinary), vide number 252, dated the 29th June, 2017, as amended from time to time;

(f) where the goods being transported are alcoholic liquor for human consumption, petroleum crude, high speed diesel, motor spirit (commonly known as petrol), natural gas or aviation turbine fuel;

(g) where the supply of goods being transported is treated as no supply under Schedule III of the Act;

(h) where the goods are being transported—

(i) under customs bond from an inland container depot or a container freight station to a customs port, airport, air cargo complex and land customs station, or from one customs station or customs port to another customs station or customs port, or

(ii) under customs supervision or under customs seal.

(i) where the goods being transported are transit cargo from or to Nepal or Bhutan.

(j) where the goods being transported are exempt from tax under notification No. 7/2017-State Tax (Rate), dated 28th June 2017 and notification No. 26/2017-State Tax (Rate) dated 23rd September, 2017.

(k) any movement of goods caused by defence formation under Ministry of defence as a consignor or consignee;

(l) where the consignor of goods is the Central Government , Government of any State or a local authority for transport of goods by rail;

(m) where empty cargo containers are being transported; and

(n) where the goods are being transported upto a distance of twenty kilometers from the place of the business of the consignor to a weighbridge for weighment or from the weighbridge back to the place of the business of the said consignor subject to the condition that the movement of goods is accompanied by a delivery challan issued in accordance with rule 55.

Explanation.- The facility of generation, cancellation, updation and assignment of e-way bill shall be made available through SMS to the supplier, recipient and the transporter, as the case may be.

ANNEXURE
[See rule 138 (14)]

S. No.	Description of Goods
(1)	(2)
1.	Liquefied petroleum gas for supply to household and non
	domestic exempted category (NDEC) customers
2.	Kerosene oil sold under PDS
3.	Postal baggage transported by Department of Posts
4.	Natural or cultured pearls and precious or semi-precious
	stones; precious metals and metals clad with precious metal
	(Chapter 71)
5.	Jewellery, goldsmiths' and silversmiths' wares and other
	articles (Chapter 71)
6.	Currency
7.	Used personal and household effects
8.	Coral, unworked (0508) and worked coral (9601)";

(iii) for rule 138A, the following rules shall be substituted, namely:-

"138A. Documents and devices to be carried by a person-in-charge of a conveyance.-(1) The person in charge of a conveyance shall carry—

(a) the invoice or bill of supply or delivery challan, as the case may be; and

(b) a copy of the e-way bill in physical form or the e-way bill number in electronic form or mapped to a Radio Frequency Identification Device embedded on to the conveyance in such manner as may be notified by the Commissioner:

Provided that nothing contained in clause (b) this sub-rule shall apply in case of movement of goods by rail or by air or vessel.

(2) A registered person may obtain an Invoice Reference Number from the common portal by uploading, on the said portal, a tax invoice issued by him in FORM GST INV-1 and produce the same for verification by the proper officer in lieu of the tax invoice and such number shall be valid for a period of thirty days from the date of uploading.

(3) Where the registered person uploads the invoice under sub-rule (2), the information in Part A of FORM GST EWB-01 shall be auto-populated by the common portal on the basis of the information furnished in FORM GST INV-1.

(4) The Commissioner may, by notification, require a class of transporters to obtain a unique Radio Frequency Identification Device and get the said device embedded on to the conveyance and map the e-way bill to the Radio Frequency Identification Device prior to the movement of goods.

(5) Notwithstanding anything contained in clause (b) of sub-rule (1), where circumstances so warrant, the Commissioner may, by notification, require the person-in-charge of the conveyance to carry the following documents instead of the e-way bill

(a) tax invoice or bill of supply or bill of entry; or

(b) a delivery challan, where the goods are transported for reasons other than by way of supply.";

(iv) for rule 138B, the following rule shall be substituted, namely :-

"138B. Verification of documents and conveyances.- (1) The Commissioner or an officer empowered by him in this behalf may authorize the proper officer to intercept any conveyance to verify the e-way bill in physical or electronic form for all inter-State and intra-State movement of goods.

(2) The Commissioner shall get Radio Frequency Identification Device readers installed at places where the verification of movement of goods is required to be carried out and verification of movement of vehicles shall be done through such device readers where the e-way bill has been mapped with the said device.

(3) The physical verification of conveyances shall be carried out by the proper officer as authorised by the Commissioner or an officer empowered by him in this behalf:

Provided that on receipt of specific information on evasion of tax, physical verification of a specific conveyance can also be carried out by any other officer after obtaining necessary approval of the Commissioner or an officer authorised by him in this behalf.";

(v) for rule 138C, the following rule shall be substituted, namely :-

"138C. Inspection and verification of goods.- (1) A summary report of every inspection of goods in transit shall be recorded online by the proper officer in Part A of FORM GST EWB-03 within twenty four hours of inspection and the final report in Part B of FORM GST EWB-03 shall be recorded within three days of such inspection.

(2) Where the physical verification of goods being transported on any conveyance has been done during transit at one place within the State or in any other State or Union territory, no further physical verification of the said conveyance shall be carried out again in the State, unless a specific information relating to evasion of tax is made available subsequently."

(vi) for rule 138D, the following rule shall be substituted, namely :-
"138D. Facility for uploading information regarding detention of vehicle.-Where a vehicle has been intercepted and detained for a period exceeding thirty minutes, the transporter may upload the said information in FORM GST EWB-04 on the common portal."

(vii) for FORM GST EWB-01, FORM GST EWB-02, FORM GST EWB-03, FORM GST EWB-04 and FORM GST INV-1, the following forms shall be substituted, namely :-

"FORM GST EWB-01
(See rule 138)
E-Way Bill

E-Way Bill No. :

E-Way Bill date :

Generator :

Valid from :

Valid until :

PART-A		
A.1	GSTIN of Supplier	
A.2	Place of Dispatch	
A.3	GSTIN of Recipient	
A.4	Place of Delivery	
A.5	Document Number	
A.6	Document Date	
A.7	Value of Goods	
A.8	HSN Code	
A.9	Reason for Transportation	
PART-B		
B.1	Vehicle Number for Road	
B.2	Transport Document Number/Defence Vehicle No./ Temporary Vehicle Registration No./Nepal or Bhutan Vehicle Registration No.	

Notes :

1. HSN Code in column A.8 shall be indicated at minimum two digit level for taxpayers having annual turnover upto five crore rupees in the preceding financial year and at four digit level for taxpayers having annual turnover above five crore rupees in the preceding financial year.

2. Document Number may be of Tax Invoice, Bill of Supply, Delivery Challan or Bill of Entry.

3. Transport Document number indicates Goods Receipt Number or Railway Receipt Number or Forwarding Note number or Parcel way bill number issued by railways or Airway Bill Number or Bill of Lading Number.

4. Place of Delivery shall indicate the PIN Code of place of delivery.

5. Place of dispatch shall indicate the PIN Code of place of dispatch.

6. Where the supplier or the recipient is not registered, then the letters "URP" are to be filled-in in column A.1 or, as the case may be, A.3

7. Reason for Transportation shall be chosen from one of the following:-

Code	Description
1	Supply
2	Export or Import
3	Job Work
4	SKD or CKD
5	Recipient not known
6	Line Sales
7	Sales Return
8	Exhibition or fairs
9	For own use
10	Others

FORM GST EWB-02
(See rule 138)
Consolidated E-Way Bill

Consolidated E-Way Bill No. :

Consolidated E-Way Bill Date :

Generator :

Vehicle Number :

Number of E-Way Bills		
E-Way Bill Number		

FORM GST EWB-03
(See rule138C)
Verification Report

Part A	
Name of the Officer	
Place of inspection	
Time of inspection	
Vehicle Number	
E-Way Bill Number	
Tax Invoice or Bill of Supply or Delivery Challan or Bill of Entry date	
Tax Invoice or Bill of Supply or Delivery Challan or Bill of Entry Number	
Name of person in-charge of vehicle	
Description of goods	
Declared quantity of goods	
Declared value of goods	
Brief description of the discrepancy	
Whether goods were detained?	
If not, date and time of release of vehicle	
Part B	
Actual quantity of goods	
Actual value of the Goods	
Tax payable	
Integrated tax	
Central tax	
State or Union territory tax	
Cess	

Penalty payable	
Integrated tax	
Central tax	
State or Union territory tax	
Cess	
Details of Notice	
Date	
Number	
Summary of findings	

FORM GST EWB-04
(See rule138D)
Report of detention

E-Way Bill Number	
Approximate Location of detention	
Period of detention	
Name of Officer in-charge	(if known)
Date	
Time	

FORM GST INV – 1

(See rule 138A)

Generation of Invoice Reference Number

IRN:		Date:	
Details of Supplier			
GSTIN			
Legal Name			
Trade name, if any			
Address			
Serial No. of Invoice			
Date of Invoice			
	Details of Recipient (Billed to)	Details of Consignee (Shipped to)	
GSTIN or UIN, if available			
Name			
Address			
State (name and code)			
Type of supply –			
	B to B supply		
	B to C supply		
	Attracts Reverse Charge		
	Attracts TCS	GSTIN of operator	
	Attracts TDS	GSTIN of TDS Authority	
	Export		
	Supplies made to SEZ		
	Deemed export		

Sl. No.	Description of Goods	HSN	Qty.	Unit	Price (per unit)	Total value	Discount, if any	Taxable value	Central tax		State or Union territory tax		Integrated tax		Cess	
									Rate	Amt.	Rate	Amt.	Rate	Amt.	Rate	Amt.
	Freight															
	Insurance															
	Packing and Forwarding Charges etc.															
Total																
Total Invoice Value (In figure)																
Total Invoice Value (In Words)																

Signature
Name of the Signatory
Designation or Status";

(viii) with effect from the date of issue of this notification, in FORM GST RFD-01, for the DECLARATION[second proviso to section 54(3)], the following shall be substituted, namely :-

"DECLARATION [second proviso to section 54(3)]

I hereby declare that the goods exported are not subject to any export duty. I also declare that I have not availed any drawback of central excise duty/service tax/central tax on goods or services or both and that I have not claimed refund of the integrated tax paid on supplies in respect of which refund is claimed.

Signature

Name –

Designation / Status";

(ix) with effect from the date of issue of this notification, in FORM GST RFD-01A, for the DECLARATION[second proviso to section 54(3)], the following shall be substituted, namely :-

"DECLARATION [second proviso to section 54(3)]

I hereby declare that the goods exported are not subject to any export duty. I also declare that I have not availed any drawback of central excise duty/service tax/central tax on goods or services or both and that I have not claimed refund of the integrated tax paid on supplies in respect of which refund is claimed.

Signature

Name –

Designation / Status".

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SANGEETHA P., Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 7 मार्च 2018

अधिसूचना

सं. 13/2018-राज्य कर

क्रमांक एफ -10-9/2018/**वाक/पांच**(23).– राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 6/2018-राज्य कर क्रमांक एफ-10-02/2018/वाक/पांच (5) तारीख 24 जनवरी 2018, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 31-अ में तारीख 25 जनवरी 2018 को प्रकाशित किया गया था, को, उन बातों के सिवाए, जिन्हें ऐसे विखंडन से पूर्व किया गया है या जिनके करने का लोप किया गया है, विखंडित करती है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 मार्च 2018

क्रमांक एफ -10-9/2018/वाक/पांच(23).– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-9/2018/वाक/पांच (23), दिनांक 07-03-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 7th March 2018

NOTIFICATION

No. 13/2018 – State Tax

No. F-10- 9/2018/CT/V (23). — In exercise of the powers conferred by section 128 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby rescinds notification No. 6/2018- State Tax, F-10-2/2018/CT/V (5) dated the 24th January, 2018 of Commercial Tax Department, Government of Chhattisgarh, published in the Gazette of Chhattisgarh (Extraordinary), vide number 31-अ, dated the 25th January, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SANGEETHA P., Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2018.